भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 657
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

अपराधों को सूचित नहीं करना
657. श्री राहुल कस्वाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पुलिस के खराब रवैये के कारण लगभग 73 प्रतिशत लोग, विशेषकर महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग अपराधों की शिकायत पुलिस से नहीं करते हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों को जाति, मत, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी शिकायतें दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन समेत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

गृह मंत्रालय ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद करने के उद्देश्य से समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है। दिनांक 10.05.2013, 05.02.2014, 12.10.2015, 09.10.2020 और

30.06.2021 की एडवाइजरी के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में सलाह दी गई है। ये एडवाइजरीwww.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो नीचे दिये गये हैः

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त ,12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा विचारण को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में शहरों 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओ की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कमी के विश्लेषण और मांग के मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। पुलिस थानों को अधिक महिला अनुकूल और सुलभ बनाने की दृष्टि से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए, सरकार द्वारा एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयां स्थापित करने के संबंध में भी एक परियोजना को मंजूरी दी है।

***